594
10/7/15

परिपत्र संख्या 3/15

website

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, 'कर-भवन', अजमेर

क्रमांकःएफ-7(507)न्याय/वेब/ 3311-3811 दिनांकः 8-7-15

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान
(प्रभारी अधिकारी)

समस्त पूर्ण कालीन/पदेन
उप पंजीयकगण,
राजस्थान
(प्रभारी अधिकारी)

परिपत्र

महत्वपूर्ण न्यायिक प्रकरणों सहित सभी न्याचिक प्रकरणों की मॉनेटरिंग हेतु यद्यपि वृत अधिकारियों की समीक्षा बैठकों में बार-बार समुचित निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी मात्र औपचारिक निवर्हन ही होने के फलस्वरूप प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकरण की प्रगति, पैरवी, न्यायालय में पक्ष प्रस्तुति के साथ-साथ प्रत्येक तारीख पेशी की कार्यवाही पर प्रभारी अधिकारियों की कड़ी नजर होनी चाहिए, किन्तु इस संबंध में जितनी अपेक्षित सतर्कता होनी चाहिए व दृष्टिगत नहीं हो रही है।

अतः इस संबंध में समुचित व्यवस्था हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है कि :-

1. राजस्थान कर बोर्ड/कलक्टर्स (मुद्रांक) द्वारा विभाग के विरूद्व पारित निर्णयों के विरूद्व रिट/रिवीजन दायर करने के निर्देशों की पालना के अन्तर्गत प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा मुख्यालय को भिजवाना आवश्यक है।
2. प्रत्येक माह लम्बित प्रकरणों की न्यायालय कार्यवाही की जानकारी माह के प्रथम सप्ताह में प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से मुख्यालय को भिजवाने आवश्यक है।
3. निर्णित प्रकरणों में निर्णय अथवा निर्णय के अगले दिवस को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित कर निर्णय की प्रति अविलम्ब मुख्यालय को भिजवाना आवश्यक है।
4. एक समान तथ्य एवं विधि के नीतिगत प्रकरणों को क्लब करने की कार्यवाही के साथ ऐसे प्रकरणों की प्रत्येक पेशी पर समुचित पैरवी सुनिश्चित करते हुए न्यायालय कार्यवाही से तुरन्त मुख्यालय को अवगत कराया जाये।
5. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली/ राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कर बोर्ड की वेबसाइट पर प्रत्येक तारीख पेशी की जानकारी अपडेट (अद्यतन) करें तथा विभाग में नियुक्ति महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/डिप्टी गर्वमेंट काउंसिल राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उप राजकीय अभिभाषक राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर से सम्पर्क कर न्यायालय कार्यवाही को पत्रावली में लिखे तथ्य की जानकारी से मुख्यालय को अवगत करायें। यदि किसी सुनवाई तिथि को किसी प्रकरण में कोई तथ्य/विधिक स्थिति को स्पष्ट करना राज्यहित में आवश्यक हो तो तुरन्त मुख्यालय को अवगत करायें एवं वांछित मार्गदर्शन/निर्देश अविलम्ब मुख्यालय, से प्राप्त किया जावे।

भ व दी य,

महानिरीक्षक,
पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-507-3

क्रमांकः एफ-7(507)न्याय/वेब/3812-3862 दिनांकः 8-7-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आपके पत्र क्रमांक प.3(26)वित्त/विप्र/15 दिनांक 01.06.15।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. निदेशक, आयकर (CIB) स्टेच्यू सर्किल, जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर ।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
9. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
10. उप निदेशक, कम्प्यूटर मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. समस्त आन्तरिक लेखां जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
12. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
13. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-507-3